भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं.169 आरबीई सं.35/2021
फाइल सं.पीसी-VII/2017/आर-I/7 नई दिल्ली, दिनांक 24.05.2021

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर.)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतनवृद्धि की तारीख के संबंध में।

कृपया बोर्ड के दिनांक 18.12.2019 के पत्र सं.पीसी-VII/2017/आर-I/7 (आरबीई सं.212/2019) का अवलोकन करें, जिसके साथ वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के दिनांक 28.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं.4-21/2017-आईसी/ई.IIIए अग्रेषित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के अंतर्गत अगली वेतनवृद्धि की तारीख को रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के संबंध में रेलवे में अपनाने के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है।

2. वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के दिनांक 28.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 के तहत यह भी अनुमोदित किया गया कि जिन कर्मचारियों को 01.01.2016 को या इसके बाद नियमित रूप से पदोन्नत किया गया है या वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है और जो मूल नियम 22(I)(क)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें इस नियम के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करने के लिए एक और अवसर दिया जाएगा तथा उस विकल्प का प्रयोग उनके कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर किया जाएगा।

3. **अब, वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग ने दिनांक 15.04.2021 के अन्य कार्यालय ज्ञापन सं.04-21/2017-आईसी/ई.IIIए (प्रतिलिपि संलग्न)** के तहत दिनांक 28.11.2019 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 में आंशिक संशोधन करते हुए, सरकारी कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करने के लिए एक और अवसर प्रदान करने की अनुमति दे दी है, जैसाकि दिनांक 28.11.2019 के उनके कार्यालय ज्ञापन के तहत अनुमति प्रदान की गई थी।

4. वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के दिनांक 15.04.2021 का उक्त कार्यालय ज्ञापन रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के संबंध में रेलों पर भी यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगा।

5. वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के दिनांक 15.04.2021 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में उल्लिखित 'तीन माह' की अवधि इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख से तीन माह होगी।

संलग्नक: यथोक्त।

(जया कुमार जी.)
उप निदेशक/वेतन आयोग-VII एवं एचआरएमएस
रेलवे बोर्ड
फोन सं. 011-47845132
ई-मेल: jaya.kumarg@gov.in

फा. सं. 4-21/2017-आईसी/ई.III(ए)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

ई.III(ए) अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001

दिनांक 15 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतनवृद्धि की तारीख के स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 28 नवंबर, 2019 के समसंख्यक का.ज्ञा. की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है। दिनांक 28.11.2019 के उक्त का.ज्ञा. के पैरा '7' में जिन कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 को या इसके बाद नियमित पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है तथा जो मूल नियम 22(1)(क)(I) के तहत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करना चाहते हैं, को दिनांक 28.11.2019 के उक्त का.ज्ञा. के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए अपने विकल्प का प्रयोग या पुन: प्रयोग करने का अवसर दिया गया था। तथापि, इस विभाग में दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. में दी गई अनुमति के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करने में हुए विलंब को माफ करने तथा एक और अवसर प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि कर्मचारी इसमें उल्लिखित वेतन निर्धारण हेतु समय की बाध्यता आदि के कारण अपने विकल्प का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।

2. इस मामले पर इस विभाग में विचार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त का.ज्ञा. के पैरा 7 में उल्लिखित शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. के तहत अनुमति प्रदान की गई थी, के अनुसार इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करने का एक और अवसर प्रदान करने की अनुमति दे दी है। भविष्य में किसी भी परिस्थिति में विकल्प के प्रयोग हेतु तारीख बढ़ाने या शर्तों में छूट देने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर इसकी प्रयोज्यता के संबंध में, ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(बी.के. मंथन)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक सूची के अनुसार। अनुरोध है कि इस का.ज्ञा. की विषय-वस्तु को सभी संबंधित कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए।
2. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।
3. प्रभारी, आरएंडआई - कार्यालय ज्ञापन को सभी मंत्रालयों/विभागों में परिचालन हेतु।